11 NOVEMBER 2024

UPSC

IAS/PCS

STATE EXAM

All Exam

ABHAY SIR

Result Mitra™

CURRENT AFFAIRS

Topic 1 :– पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पर पर्यावरण को पहुंचे नुकसान की वजह से 6.9 करोड़ रुपए का जुर्माना।

Topic 2:– यौन उत्पीड़न मामले में आपसी समझौता नहीं

Topic 3:– CO2 से मेथेनॉल

Topic 4 :– अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा

Topic 5 :– बच्चों के साथ होती हिंसा को समाप्त करने के लिए पहला वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

प्रदूषण

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पर लगा करीब सात करोड़ का जुर्माना

आरोप है कि खुखराना गांव में पानीपत थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाली राख को अवैध रूप से आसपास के इलाकों में डंप किया जा रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है

Spruces :– DOWN TO EARTH

- पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पर पर्यावरण को पहुंचे नुकसान की वजह से 6.9 करोड़ रुपए का जुर्माना।

- यह जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने लगाया है

- पानीपत थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा के खुखराना गांव में

- न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी जिसमे कहा गया कि खुखराना गांव में पानीपत थर्मल पावर स्टेशन द्वारा बिजली उत्पादन से निकलने वाली राख को अवैध रूप से आसपास के इलाकों में डंप किया जा रहा है।

- एनजीटी के द्वारा यह जुर्माना फ्लाई ऐश के अवैज्ञानिक निपटान और प्रबंधन के लिए लगाया गया।

- पानीपत थर्मल पावर अक्टूबर 2022 से जून, 2024 के मध्य फ्लाई ऐश का निपटान अवैज्ञानिक तरीके से किया गया था।

- जिस कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ।

- अदालत ने कुछ वर्ष पहले थर्मल पावर प्लांट को पर्यावरण को दूषित करने के कारण 98000 पेड़ लगाने के लिए निर्देश दिए थे।

- इन पेड़ों की रखरखाव के बारे में पावर प्लांट ने कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि कितने पेड़ अभी सुरक्षित हैं।

- अदालत ने कहा कि, "पेड़ों को जीवित रखना सुनिश्चित किए बिना उन्हें लगाना न तो प्रभावी कदम है और न ही पर्यावरण संरक्षण के किसी उद्देश्य को पूरा करता है।"

- जिस कारण एनजीटी ने पावर प्लांट को निर्देश दिया कि वह निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि अगले पांच वर्षों तक उनका अस्तित्व बना रहे।

प्रश्न. ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों से निष्काषित 'फ्लाई ऐश' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)

1. फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिये ईंट बनाने में किया जा सकता है।

2. फ्लाई ऐश को कंक्रीट की कुछ पोर्टलैंड सीमेंट सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बनी होती है तथा इसमें कोई ज़हरीला तत्त्व नहीं होता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) 1 और 2

(b) केवल 2

(c) 1 और 3

(d) केवल 3

Result Mitra

यौन उत्पीड़न मामले में आपसी समझौता नहीं

Result Mitra

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है जिसमें कहा है कि POCSO के तहत यौन उत्पीड़न मामले आपसी समझौते के साथ ख़ारिज नहीं किए जा सकते।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय रामजी लाल बैरवा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में दिया।

- सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि POCSO ACT 2012 के तहत मामले संबंधित पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से खारिज नहीं किए जाएंगे

CO2 से मेथेनॉल

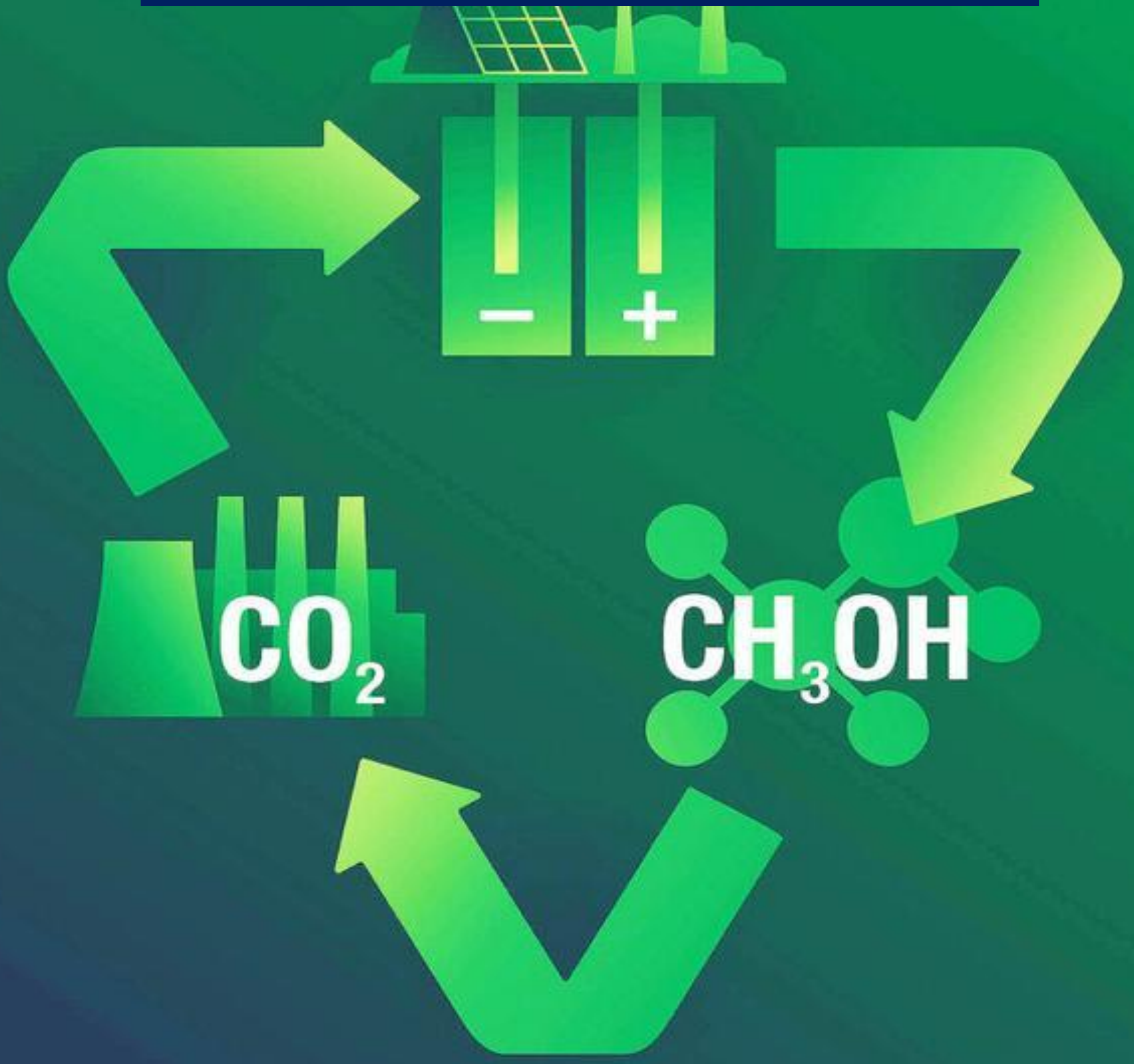

- हाल ही में एक संयंत्र की स्थापना की गई है जो CO2 से मेथेनॉल बनाने का कार्य करेगा |

- इस संयंत्र की स्थापना विंध्याचल क्षेत्र में की गई और यह अपनी तरह का विश्व का पहला संयंत्र है|

- CO2 से मेथेनॉल का सफलतापूर्वक उत्पादन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) द्वारा किया गया|

- NTPC ने फ्लू गैस से प्राप्त की गई CO2 को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ संश्लेषित कर मेथेनॉल का उत्पादन किया|

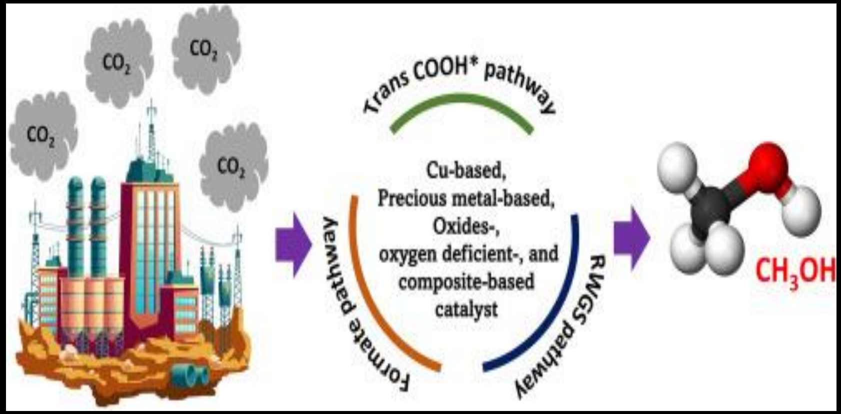

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा

Result Mitra

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने उस फैसले को पलट दिया जिसमें उसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से मना कर दिया था।

- 1967 के SC ने कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था जिस कारण वह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता ।

- यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ वाद (1967) में दिया गया था।

- जिसे अब 7 जजों की पीठ ने 4-3 बहुमत से पलट दिया।

निर्णय के मुख्य बिंदु :-

- संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता की संस्थान की स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में हुई है।
- किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, कि इसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में की गई है।
- कोई शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं इसके लिए जरूरी नहीं है कि प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण हो।
- संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने या ना देने के पहले उसकी उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए साथ ही जिसने उसे संस्थान की स्थापना की है उसके उद्देश्यों को जानना चाहिए।

1st
Global Ministerial Conference
on ending violence against
children
Result Mitra
बच्चों के साथ होती हिंसा को समाप्त करने के
लिए पहला वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

- यह सम्मेलन बोगोटा (कोलंबिया) में आयोजित किया गया।

- इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया और स्वीडन द्वारा यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ साझेदारी में आयोजित किया।

Result Mitra

THANK YOU

@resultmitra / 8650457000

@resultmitra

@resultmitra

Result

+ SUBSCRIBE

LIKE & SHARE

PDF

Result Mitra